# <u>दिल्ली के उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में</u>

## सार्वजनिक नोटिस

## संदर्भ: सी.ओ. (सीओएमएम आईपीडी-सीआर) 14/2021 और अन्य मामले

यह सभी संबंधितों की जानकारी के लिए है, कि कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 31 डी, कॉपीराइट नियम,2013 केनियम 31 केसाथ पठित के मद्देनजर और इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसायटी लिमिटेड द्वारा इस संबंध में दायर एक आवेदन पर, माननीय 'दिल्लीउच्चन्यायालय, नईदिल्ली',आईपी डिवीज़न को कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 31 डी और उसके नियमों के तहत रेडियो द्वाराजनता को प्रसारण के माध्यम से 'ध्वनि रिकॉर्डिंग' में बुनियादी कृतियों यानी साहित्यिक और संगीतात्मक कृतियाँ के संचार और एफएम रेडियो स्टेशनों में इसके उपयोग के लिए रॉयल्टी को तय/संशोधित करने की ज़रुरत है.

यह सार्वजनिक सूचना उन सभी इच्छुक व्यक्तियों को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, बौद्धिक संपदाविभागके रेडियो द्वारा'ध्वनि रिकॉर्डिंग' में बुनियादी कृतियों यानी ' साहित्यिक और संगीतात्मक कृतियाँ' के प्रसारण के लिए रॉयल्टी तय/संशोधित करने की मंशा के बारे में सूचित करने के लिए जारी की जाती है, जैसा कि कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 31डी के तहत अनिवार्य है. कॉपीराइट नियम, 2013 के नियम 31 के साथ पठित और इस संबंध में सभी इच्छुक व्यक्तियों के सुझाव आमंत्रित हैं.

नियम 31 के उप-नियम (3) के अनुसार, यह कहा गया है कि, कॉपीराइट का कोई भी मालिक या किसी भी प्रसारण संगठन या किसी रेडियो प्रसारक या कोई अन्य इच्छुक व्यक्ति, इस प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने सुझाव दे सकता है, लिखित रुप में, पर्याप्त साक्ष्य के साथ,एफएम रेडियो के माध्यम से 'ध्वनि रिकॉर्डिंग' में बुनियादी कृतियों यानी ' साहित्यिक और संगीतात्मक कृतियाँ' के प्रसारण के लिए रॉयल्टी की दर के बारे में. सार्वजनिक सूचना के 30 दिनों की समाप्ति के बाद सुझावोंके प्रयोजन के लिए कोई और समय नहीं दिया जाएगा.

इस संबंध में सुझाव ipd-copyright@dhc.nic.inपर ईमेल किए जाएं.

आदेश से

**हस्ताक्षर**

**(संजय कालरा)**

**उप-रजिस्ट्रार (मूल)**

**रजिस्ट्रार जनरल के लिए**